# लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का मानचित्र ग्राम .............................................................. नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा पत्र संख्या .............................................. दिनांक ............................... को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण ................................................................, ...................................................... एवं ........................................... श्री ..................................................................... द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्नांति प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है :–

**प्रतिबंध :–**

1. योजना के अन्तर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। अनुज्ञा प्रपत्र की सभी शर्तो का पालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. विस्तारित टाउनशिप हेतु एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
4. योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्यूनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एस.टी.पी., कूड़ा निस्तारण प्रबन्धन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित हैं, को पूर्णरूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। जिसकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा।
5. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त क्रियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से संबंधित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।